

कार्यालय बीकानेर विकास प्राधिकरण, बीकानेर

क्रमांक:- बीविप्रा/बीका/2025-26/

दिनांक:-

-: कार्यालय आदेश :-

श्री दिलीप बोधरा पुत्र श्री नथमल बोधरा एवं

श्री संजय दफ्तरी पुत्र श्री रतनलाल दफ्तरी

ग्राम करमीसर खसरा नं 79,88/19,88/22,88/38,88/40

बीकानेर

विषय :- उप विभाजन ले-आउट मानचित्र स्वीकृति के संबंध में ।

प्रसंग :- आपका आवेदन दिनांक 24.03.2025 के कम में ।

उपरोक्त विषय के प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि आप द्वारा ग्राम करमीसर खसरा नं 79,88/19,88/22,88/38,88/40 में स्थित 3456.20 वर्गमीटर भूमि का उपविभाजन ले-आउट मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया था। जिसका तकनीकी अनुमोदन करवाए जाने हेतु प्राधिकरण की समिति की बैठक दिनांक 03.10.2025 में अनुमोदन हेतु रखा गया था। जो समिति के प्रस्ताव सं. 06 में लिए गए निर्णय की पालना में जरिये चलान नं. 5353 दिनांक 06.11.2025 के द्वारा राशि रु 376470/- प्राधिकरण कोष में जमा करवाए जा चुके हैं। अतः निम्न शर्तों की पालना की जाने पर उपविभाजन ले-आउट मानचित्र स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. अनुमोदित योजना मानचित्र में सुविधा क्षेत्र/ पार्क/ सड़क हेतु आरक्षित भूमि विकासकर्ता द्वारा नियमानुसार संबंधित स्थानीय निकाय को समर्पित की जानी होगी।
2. विकासकर्ता को अनुमोदित आवासीय योजना में बिजली, पानी, सड़क व अन्य आधारभूत सुविधाएं स्वयं को विकसित करनी होगी।
3. आवेदित योजना में प्रस्तावित भूखण्डों पर निर्माण किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त की जानी होगी।
4. प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 31.08.2021 के समस्त प्रावधानों एवं भवन विनियम 2024 तथा टाउनशिप पोलिसी 2024 एवं समय समय पर जारी दिशा - निर्देशों की पालना करने हेतु पाबंद रहेगा।
5. विकासकर्ता को अनुमोदित योजना मानचित्र अनुसार बाहर की समपर्क सड़क तथा अंदर की सड़के स्वयं बनानी होगी।
6. अनुमोदित योजना का रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना प्रस्तावित है

संलग्न:- उपविभाजित मानचित्र की प्रति

कुलराज मीणा
सचिव
बीकानेर विकास प्राधिकरण
बीकानेर

Signature valid

Digitally signed by Kulraj Meena
Designation: Secretary
Date: 2025.12.03 17:36:15 IST
Reason: Approved



